7

2.7.15 पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O. साहब अवकाश/भ्रमण पर है अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 18/9/15 को प्रस्तुत हो।

.15 पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O. साहब अवकाश/भ्रमण पर है अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 18/11/15 को प्रस्तुत हो।

.15 पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O. साहब अवकाश/भ्रमण पर है अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 27/1/16 को प्रस्तुत हो P.O. सा० अन्य प्रशासनिक कार्य मे व्यस्त पत्रावली उपरोक्त दिनांक को पेश हो

-16 पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O. साहब अवकाश/भ्रमण पर है अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 14-3-16 को प्रस्तुत हो।

3.16 पत्रावली प्रस्तुत हुई। P.O. साहब अवकाश/भ्रमण पर है अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 9/5/16 को प्रस्तुत हो।

.5.16 पत्रावली पेश हुई P.O. सा० न्याय आपके द्वार कैम्प मे पधारे हुए थे आयन्दा दि 20.5.16 को पेश हो

0.5.16 पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प II पी मे पेश हुई वादी उपा पैरोकार राज उपा राज पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया। शामिल मिसल हो। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प०12K के मु०न० 37 प०न० 96/44 की 5.068 हैक्टर भूमि मे से कि न० 1, 13, 15, 19, 20 कुल 17 बीघा (3.795 हैक्टर) मय रवाला कमाण्ड भूमि जयपाल बेचा सुवेदा

शकुन्तला देवी पुत्री सुचेत अयोध्या उर्फ आयुध्या देवी पुत्री
सुचेता पत्नि रमेश चन्द्र [illegible] पुत्र निर्मला देवी
प्रवीन कौर पुत्री निर्मला जाति [illegible] निवासी नगरो[illegible]
सूरिया भी हिस्से की अब माननीय न्यायालय अपर जिला
एवं सेसन्स न्यायाधीश अनूपगढ़ द्वारा दीवानी प्रकरण सं० 54/
पूर्णसिंह बनाम जयपाल वगैरा संविदा की विनिर्दिष्ट
अनुपालना मे निर्णय दि 31.3.10 की पालना मे निष्पादित
बैयनामा दि 23.8.11 द्वारा पूर्णसिंह पुत्र बल्लाभ सिंह
जाति जटसिख निवासी 10 के पक्ष मे पंजीबद्ध की गई।
उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार मुताबिक बैयनामा
पत्र 12 के मु०न० 96/44 के कि०न० 10 15 19 20 की
3.795 हैक्टर कमाण्ड रक्बा वादी पूर्णसिंह पुत्र बल्लाभ सिंह
जाति जटसिख के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये
जाने हेतु प्रा० पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है अत: च
12 के मु०न० 96/44 के कि०न० 10 15, 19 20 का 3.795 हैक्टर
रक्बा का वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने
हेतु आदेश दिये जाते है पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो
शेष रक्बा यथावत मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज रहे।
निर्णय मजमे आम न्याय आपके द्वार कैम्प मे सुनाया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम
होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो

Scanned by CamScanner